



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13032026-270938
CG-DL-E-13032026-270938

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1262]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 13, 2026/फाल्गुन 22, 1947

No. 1262]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 13, 2026/PHALGUNA 22, 1947

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)
आदेश

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2026

का.आ.1319(अ)— भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम एलॉय उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2025, के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले किए गए या किए जाने से छोड़े गए कार्यों को छोड़कर, केंद्र सरकार का, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक अथवा हितकर है, अतः एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामतः -

- संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ -** (1) इस आदेश को एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम एलॉय उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2026 कहा जाएगा।
- (2) यह आदेश शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।
- मानक चिह्न का अनिवार्य प्रयोग -** तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं या सामान उक्त तालिका के कॉलम (3) में उल्लिखित तदनुसूची भारतीय मानक के अनुरूप होंगे तथा उन पर भारतीय मानक ब्यूरो (अनुपालन मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो के लाइसेंस के तहत मानक चिह्न लगा होगा:

बशर्ते कि इस आदेश की कोई भी बात निर्यात की जाने वाली स्वदेश में विनिर्मित वस्तुओं या सामान पर लागू नहीं होगी:

बशर्ते कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) के तहत यथापरिभाषित सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम, तालिका के क्रमशः कॉलम (6) और (7) के तहत संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट तिथि से ऐसे भारतीय मानकों का अनुपालन करेंगे, तथा अन्य उद्यम क्रमशः कॉलम (5) के तहत संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट तिथि से ऐसे भारतीय मानकों का अनुपालन करेंगे:

बशर्ते यह भी कि इस आदेश में से कुछ भी एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम एलॉय उत्पाद के विनिर्माताओं द्वारा अनुसंधान और विकास के प्रयोजन के लिए प्रतिवर्ष दो सौ किलोग्राम तक आयातित वस्तुओं अथवा सामान पर लागू नहीं होगा, जिसके साथ यह शर्त होगी कि,-

(क) ऐसी आयातित वस्तुओं और सामान को वाणिज्यिक तौर पर बेचा नहीं जाएगा और उन्हें स्कैप के रूप में निपटाया जा सकेगा; और

(ख) विनिर्माता आयातित वस्तुओं अथवा सामानों का वर्ष-वार रिकॉर्ड रखेगा और अपने प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा अपने लेटर हेड पर विधिवत रूप से हस्ताक्षरित करके इसे केंद्र सरकार को प्रस्तुत करेगा।

3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण – भारतीय मानक ब्यूरो तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामान के लिए प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।

4. उल्लंघन के लिए पेनल्टी— इस आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा।

तालिका

क्रम सं.	वस्तु तथा सामान	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक	कार्यान्वयन की तारीख (सूक्ष्म और लघु उद्यमों को छोड़कर)	लघु उद्यमों के लिए कार्यान्वयन की तारीख	सूक्ष्म उद्यमों के लिए कार्यान्वयन की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम एलॉय उत्पाद	7092 (भाग 1):1992	सिंचाई के लिए एल्यूमीनियम एलॉय ट्यूब्स वेल्डेड ट्यूब्स।	तत्काल प्रभाव से।	तत्काल प्रभाव से।	तत्काल प्रभाव से।
2.		7092 (भाग 2):1987	सिंचाई के लिए एल्यूमीनियम एलॉय ट्यूब्स एक्सट्रूडेड ट्यूब्स।			
3.		5484:1997	कंटीन्यूअस कास्टिंग और रोलिंग से निर्मित ईसी ग्रेड एल्यूमीनियम रॉड।			
4.		16011:2012	फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग के लिए एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम एलॉय फॉइल।			
5.		17682:2021	एल्यूमीनियम कम्पोजिट पैनल।			
6.		1254:2007	कॉरुगेटेड एल्यूमीनियम शीट।			

7.	7902:2001	एरोस्पेस एप्लीकेशन के लिए एल्यूमीनियम एलॉय फोर्जिंग स्टॉक और फोर्जिंग (एलॉय 24345)।			
8 .	733:1983	रॉट एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम एलॉय बार्स, रॉड और सेक्शन (सामान्य इंजीनियरिंग प्रयोजन हेतु)।	01.12.2026	01.03.2027	01.06.2027
9.	734:1975	रॉट एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम एलॉय, फोर्जिंग स्टॉक और सामान्य इंजीनियरिंग प्रयोजन हेतु फोर्जिंग।			
10.	736:1986	सामान्य इंजीनियरिंग प्रयोजन हेतु रॉट एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम एलॉय प्लेट।			
11.	737:2008	सामान्य इंजीनियरिंग प्रयोजन हेतु रॉट एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम एलॉय शीट और स्ट्रिप।			
12.	739:1992	सामान्य इंजीनियरिंग प्रयोजन हेतु रॉट एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम एलॉय वायर।			
13.	740:1977	सामान्य इंजीनियरिंग प्रयोजन हेतु रॉट एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम एलॉय रिबेट स्टॉक।			
14.	1285:2002	रॉट एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम एलॉय-सामान्य इंजीनियरिंग प्रयोजन हेतु एक्सट्रूडेड राउंड ब्यूब और हॉलो सेक्शन।			
15.	2067:1975	इलेक्ट्रिकल प्रयोजन हेतु लिए रॉट एल्यूमीनियम वायर।			

16.		21:1992	यूटेनसिल्स के विनिर्माण हेतु रॉट एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम एलॉय।			
17.		5082:1998	इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन हेतु रॉट एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम एलॉय बार, रॉड, ट्यूब, सेक्शन, प्लेट और शीट।			

#टिप्पण – इस तालिका के प्रयोजन के लिए, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा समय-समय पर यथा- अधिसूचित भारतीय मानकों के नवीनतम संस्करण, उनमें किए गए संशोधनों सहित, लागू होंगे।

[फा. सं. पी-29026/7/2023– एलईआई]

संजीव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department For Promotion Of Industry And Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 11th March, 2026

S.O. 1319(E).— In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), and in supersession of the Aluminium and Aluminium Alloy Products (Quality Control) Order, 2025, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, after consulting with the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following order, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) This order may be called the Aluminium and Aluminium Alloy Products (Quality Control) Order, 2026.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the official Gazette:

2. Compulsory use of Standard Mark. - Goods or articles specified in column (2) of the Table shall conform to the corresponding Indian Standard specified in column (3) of the said Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau of Indian Standard as per Scheme-1 of Schedule-II to the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018:

Provided that nothing in this order shall apply to goods or articles manufactured domestically for export:

Provided further that the micro enterprises and small enterprises, as defined under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006) shall conform to such Indian Standards from the date specified in the corresponding entry under columns (6) and (7) of the Table and other enterprises shall conform to such Indian Standards from the date specified in the corresponding entry under column (5), respectively:

Provided also that nothing in this order shall apply to the goods or articles imported upto two hundred kilograms for the purpose of research and development by manufacturers of Aluminium products per year with the condition that, —

- (a) such imported goods and articles shall not be sold commercially and shall be disposed of as a scrap; and
- (b) the manufacturer shall maintain year-wise record of such imported goods or articles and furnish the same to the Central Government on in its letter head duly signed by its authorised signatory.

3. Certification and enforcement authority. - The Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority for the goods or articles specified in column (2) of the Table.

4. Penalty for contravention. - Any person who contravenes the provisions of this order shall be punishable under the provisions of the Bureau of Indian Standards Act, 2016.

TABLE

S. No.	Goods or articles	Indian Standard	Title of Indian Standard	Date of implementation in general (other than micro and small enterprises)	Date of implementation for small enterprises	Date of implementation for micro enterprises
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Aluminium and Aluminium Alloy Products	7092 (Part 1):1992	Aluminium alloy tubes for irrigation purposes - welded tubes.	With immediate effect.	With immediate effect.	With immediate effect.
2.		7092 (Part 2):1987	Aluminium alloy tube for irrigation purposes - extruded tube.			
3.		5484:1997	EC Grade Aluminium Rod produced by Continuous Casting and Rolling.			
4.		16011:2012	Aluminium and aluminium alloy foil for pharmaceutical packaging.			
5.		17682:2021	Aluminium composite panel.			
6.		1254:2007	Corrugated Aluminium Sheet.			
7.		7902:2001	Aluminium alloy forging stock and forgings (Alloy 24345) for aerospace applications.			
8.		733:1983	Wrought aluminium and aluminium alloy bars, rods and sections (For General Engineering purposes).	01.12.2026	01.03.2027	01.06.2027
9.		734:1975	Wrought aluminium and aluminium alloys, forging stock and forgings for general engineering purposes.			
10.		736:1986	Wrought aluminium and aluminium alloy plate for general			

			engineering purposes.			
11.		737:2008	Wrought aluminium and aluminium alloy sheet and strip for general engineering purposes.			
12.		739:1992	Wrought aluminium and aluminium alloy wire for general engineering purposes.			
13.		740:1977	Wrought aluminium and aluminium alloy rivet stock for general engineering purposes.			
14.		1285:2002	Wrought aluminium and aluminium alloys- Extruded round tube and hollow sections for general engineering purposes.			
15.		2067:1975	Wrought Aluminium Wire for Electrical purposes.			
16.		21:1992	Wrought aluminium and aluminium alloys for manufacture of utensils.			
17.		5082:1998	Wrought aluminium and aluminium alloy bars, rods, tubes, sections, plates and sheets for electrical applications.			

#Note. - For the purposes of this Table, the latest version of Indian Standards including the amendments thereof, as notified by the Bureau of Indian Standards from time to time shall apply.

[F. No. P-29026/7/2023-LEI]

SANJIV, Jt. Secy.